

**भाग-II**

(संबंधित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

प्रस्ताव की राज्य कम संख्या— FP/UP/ROAD/157254/2022

7— परियोजना/स्कीम का स्थान

- (I) राज्य/संघ शासित क्षेत्र
  - (II) जिला
  - (III) वन प्रभाग
  - (IV) वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र (हैक्टेयर में)
  - (V) वन की कानूनी स्थिति
  
  - (VI) हरियाली का घनत्व
  - (VII) प्रजाति—वार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि श्रेणी वार वृक्षों की परिणाम (संलग्न की जाए) सिचाईं/जलीय परियोजनाओं के संबंध में एफ आर एल, एफ आर एल-2 मीटर पर परिणाम और एफ आर एल-4 मीटर भी संलग्न किए जाय)
  - (VIII) भूक्षरण के लिए वन क्षेत्र की संवेदनशीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी
  - (IX) वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित स्थल की वन की सीमा से अनुमानित दूरी
  - (X) क्या फार्म राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य, जैव मण्डल रिजर्व, बाघ रिजर्व, हाथी कोरीडोर, आदि का भाग है। (यदि हॉ क्षेत्र का व्यौरा प्रमुख वन्य जीव वार्डन की टिप्पणियाँ अनुबन्धित की जायें)।
  - (XI) क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्राणिजात की दुर्लभ/संकटापन्न/विशिष्ट प्रजातियाँ पाई जाती हैं, यदि हॉ/ तो तत्सम्बन्धी व्यौरा दें।
  - (XII) क्या कोई सुरक्षित पुरात्वीय/पारम्परिक स्थल/रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित है, यदि हॉ तो तत्सम्बन्धी व्यौरा सक्षम प्राधिकरण अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ, यदि अपेक्षित हो, दें।
- 8—प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा भाग-1 कालम-2 में प्रस्तावित वन भूमि की आवश्यकता परियोजना के लिए अपरिहार्य और न्यूनतम है यदि नहीं तो जांचे गये विकल्पों के व्यारों के साथ मदवार संस्तुत क्षेत्र क्या है।
- 9—क्या अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया गया है।(हाँ/नहीं) यदि हाँ तो कार्य की अवधि, दोषी अधिकारियों पर की गयी कार्यवाही सहित कार्य का

राष्ट्रीय राज मार्ग संख्या-731 के हरदोई—लखनऊ मार्ग के किमी 0 88. 750 से 123.650 तक चार लेन चौड़ीकरण कार्य में जनपद शाहजहांपुर के अन्तर्गत प्रभावित 10.9075 हैं एवं 1262 वृक्षों के पातन एवं हरदोई वन प्रभाग के अन्तर्गत 1.2540 हैं कुल 12.1615 हैं संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति प्रस्ताव संख्या— एफ पी /यू पी/रोड/ 157254/2022।

उ० प्र०

शाहजहांपुर।

सा०वा० वन एवं वन्य जीव प्रभाग, शाहजहांपुर।

10.9075 हैं

संरक्षित मार्ग की पटरियां।

0.3

प्रभावित 1262 वृक्षों की प्रजातिवार, व्यास वार सूचना संलग्न है।

भू—क्षरण से प्रभावित नहीं है।

संरक्षित वन सीमा के अन्दर।

नहीं।

नहीं।

नहीं।

हॉ।

लागू नहीं है।

व्यौरा दें क्या उल्लंघन संबंधी कार्य अभी तक चल रहे हैं।

10—प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का व्यौरा—

(I) प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारण वनेत्तर क्षेत्र/अवकमित वन क्षेत्र आस पास के वन क्षेत्र से इसकी दूरी, भू—खण्ड का आकर।

(II) प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेत्तर/अवकमित वनेत्तर/अवकमित वन क्षेत्र और आस पास की वन सीमाओं को दर्शाता मैप।

(III) रोपित किये जाने वाली प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण कार्यान्वयन एजेन्सी, समय अनुसूची लागत ढांचा आदि।

(IV) प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिए कुल वित्तीय परिव्यय।

(V) प्रतिपूरक वनीकरण के लिये अभिनिर्धारित क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में और प्रबन्धकीय दृष्टिकोण से सक्षम प्राधिकरण से प्रमाण पत्र (सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षरित किया जायें)

11—जिला वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट विशेषतः उपर्युक्त कालम 7 (XI,XII) 8 और 9 में पूछे गये तथ्यों को दर्शाते हुए (संलग्न करे)

12—विभाग/जिला प्रोफाइल

(I) जिले का भौगोलिक क्षेत्र

(II) जिले का वन क्षेत्र

(III) मामलों की संख्या सहित 1980 से वनेत्तर प्रयोग में लाया गया कुल वन क्षेत्र

(IV) 1980 से जिला/प्रभाग ने निर्धारित कुल प्रतिपूरक वनीकरण

(क) दण्ड के रूप में प्रतिपूरक वनीकरण सहित वन भूमि

(ख) वनेत्तर भूमि पर

(IV) तक प्रतिपूरक वनीकरण में हुयी प्रगति

(क) वन भूमि पर

(ख) वनेत्तर भूमि पर

13—प्रस्ताव को स्वीकार करने अथवा प्रस्ताव को अन्यथा लेने के सम्बन्ध में उप वन संरक्षक की विशेष सिफारिश।

मिर्जापुर वन प्रभाग की विण्ठमफाल रेज़िकॉन0-02 में 25 हेक्टेयर का वन भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण प्रस्तावित है।

मानचित्र संलग्न है।

वृक्षों का पातन प्रस्तावित है। प्रस्ताव में सूची संलग्न है।

रु0 43,13,315.00 (तैतालिस लाख तेरह हजार तीन सौ पन्द्रह मात्र)

क्षेत्र क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त है। उपयुक्ता प्रमाण पत्र संलग्न है।

संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट संलग्न है।

4575 वर्ग किमी0

6464.50 हेक्टेयर

स्वीकृत मामलों की सं0—26 क्षेत्र0—121.594 हेक्टेयर

---

---

216.4063 हेक्टेयर

---

प्रस्ताव का जनहित में विकास कार्य हेतु संस्तुति की जाती है।

तिथि:-

स्थान:- शाहजहांपुर।

(टिलीफ मुजाहिदील वान्नव)  
प्रभागीय प्रशासक  
वन एवं वन्य जीव प्रभाग, शाहजहांपुर।  
वन एवं वन्य जीव प्रभाग  
शाहजहांपुर